

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/  
प्रार्थी

2021

दिनांक - 30.8.19

बनाम

अप्रार्थीगण

1 धर्माराम पुत्र पन्नाराम जाति  
रवारी निवासी लंगेरा तहसील  
व जिला बाड़मेर।


1 विरधाराम 2 हरकेन पिसरान सालूराम 3 लिखमाराम  
4 जोगाराम 5 वारू पिसरान हिन्दूराम 6 हमीराराम 7  
भैराराम पिसरान दलाराम जाति रवारी निवासी लंगेरा 8  
उदयरसिंह पुत्र हगीरसिंह जाति पुरोहित निवासी लंगेरा  
9 राणाराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी शीको  
एरिया बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 149/2019

दिनांक- 22.08.19

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लंगेरा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 569/109 रकबा 02.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते  
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर  
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे  
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया  
जावेगा।

  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 30.8.19

क्रमांक :- रीडर/2019/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. धर्माराम पुत्र पन्नाराम जाति रवारी निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी विरधाराम पुत्र सालूराम वगैरह जाति रवारी निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर